



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251116  
CG-DL-E-03012024-251116

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945

No. 08]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (762 B).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 1293 : 2019 घरेलू और ऐसे ही सामान्य प्रयोजनों के लिए 250 वोल्ट तक की रेटित वोल्टता वाले और 16 एम्पीयर तक की रेटित करंट वाले प्लग और सॉकेट-निकास — विशिष्ट (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 दिसम्बर 2023	27 दिसम्बर 2023	26 सितम्बर 2024
2	आई एस/आई ई सी 60079-2 : 2014 विस्फोटी पर्यावरण	संशोधन संख्या 1 दिसम्बर 2023	27 दिसम्बर 2023	26 मार्च 2024

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	भाग 2 दायित आवेष्टन "p" द्वारा उपकरण संरक्षण (पहला पुनरीक्षण)			
3	आई एस/आई ई सी 60079-18 : 2014 विस्फोटी पर्यावरण भाग 18 प्राकरण "m" द्वारा उपकरण संरक्षण (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 दिसम्बर 2023	27 दिसम्बर 2023	26 मार्च 2024

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./662/2023-24]

### BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023

**Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (762 B).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

#### SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 1293 : 2019 Plugs and Sockets-Outlets for Household and Similar Purposes of Rated Voltage up to and Including 250 V and Rated Current up to and Including 16 A — Specification (Fourth Revision)	Amendment No. 2 December 2023	27 December 2023	26 September 2024
2	IS/IEC 60079-2 : 2014 Explosive Atmospheres Part 2 Equipment Protection by Pressurized Enclosure "p" (First Revision)	Amendment No. 1 December 2023	27 December 2023	26 March 2024
3	IS/IEC 60079-18 : 2014 Explosive Atmospheres Part 18 Equipment Protected by Encapsulation "m" (Second Revision)	Amendment No. 1 December 2023	27 December 2023	26 March 2024

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./662/2023-24]